प्रेस विज्ञप्ति

11.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 07/03/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें बिहार के हाजीपुर में वैशाली शहरी विकास को-आपरेटिव बैंक (वीएसवी) धोखाधड़ी से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल कई व्यक्तियों और फर्मों को दोषी ठहराने की मांग की गई है। आरोपियों में विपिन तिवारी, संदीप कुमार सिंह ('एन डाइमेंशन' के मालिक), नितिन मेहरा ('मेहरा ट्रैवल्स' के मालिक), राम बाबू शांडिल्य और उनकी संबद्ध फर्म - मेसर्स रक्षिका ट्रैवल्स इंडिया एलएलपी, मेसर्स शांडिल्य टेक एंटरप्राइजेज एलएलपी और मेसर्स आरएसडीआर एग्री एक्वा एलएलपी शामिल हैं। माननीय न्यायालय ने 11/03/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से संबंधित आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप लगाया गया कि वीएसवी को-आपरेटिव बैंक के निलंबित सीईओ विपिन तिवारी और निलंबित अध्यक्ष संजीव कुमार सहित अधिकारियों ने 83.5 करोड़ रुपये (लगभग) का गबन किया । उन्होंने कथित तौर पर ऋण स्वीकृति के संबंध में बैंक के नियमों में हेराफेरी की और अन्य बैंक अधिकारियों के साथ साजिश करके 383 फर्जी ऋण खातों के माध्यम से 79.02 करोड़ रुपये और अन्य स्टाफ सदस्यों के माध्यम से 4.48 करोड़ रुपये नकद गबन किए।

ईडी ने इससे पहले 10/01/2025 को आरोपियों से जुड़े 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। परिणामस्वरूप, विपिन तिवारी, उसके सहयोगियों संदीप कुमार सिंह, नितिन मेहरा और राम बाबू शांडिल्य को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी ऋण खाते बनाने के लिए जाली गोदाम रसीदें, फर्जी एलआईसी दस्तावेज और फर्जी संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। इन झूठे ऋणों का इस्तेमाल नकदी की कमी को छिपाने के लिए किया गया था, जिसमें बैंक अधिकारियों द्वारा जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बैंक और जनता को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

उक्त गबन की गई राशि में से फर्जी ऋण खातों से आरटीजीएस/आईएमपीएस/एनईएफटी के माध्यम से अंतरित लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि को नितिन मेहरा, उनकी फर्म- मेहरा ट्रैवल्स और एन. डाइमेंशन से जुड़े बैंक खातों में पाया गया। अपराध की आय (पीओसी) को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे शोधित किया गया और बैंक के तत्कालीन सीईओ विपिन तिवारी द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। तिवारी ने मेसर्स रक्षिका ट्रैवल्स इंडिया एलएलपी, मेसर्स शांडिल्य टेक एंटरप्राइजेज एलएलपी और मेसर्स आरएसडीआर एग्री एक्वा एलएलपी सहित कई संस्थाएँ भी बनाईं जिनके माध्यम से उन्होंने गलत तरीके से अर्जित धन का शोधन और उपयोग किया।

आगे की जांच जारी है।